न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 237/2024

सुनील सैनी पुत्र छोटू सैनी आयु बालिग साल जाति माली निवासी ग्राम मालियों की बाडी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.। वादीगण

बनाम

छोटू माली पुत्र स्व. श्योजी माली जाति माली आयु बालिग निवासी मालियों की बाडी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 26.08.2025

उपस्थितः	पूर्वी बख्शी	वादीगण अभिभाषक
	राकेश भारती	प्रतिवादी अभिभाषक

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2025 को प्रतिवादी सं0 02 द्वारा जरिये वकील राकेश भारती के माध्यम से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी श्री सुनील सैनी पुत्र श्री छोटू लाल सैनी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा उपरोक्त वाद में तथ्यो को छुपाते हुए उक्त वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने वाद में वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित सम्पति मे 1/18 हिस्सा के स्वामी घोषित किये जाने के साथ–साथ वादग्रस्त आराजी का विभाजन का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के चरण सं. 3 में अंकित है के क्रम में पूर्व में प्रतिवादी सं. 2 श्री रामलाल माली पुत्र श्री श्योजी माली के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष स्वर्गीय श्योजी माली के अन्य विधिक वारिसान भैरू, किशन लाल, भंवर लाल, शंकर, छोट के विरूद्ध माननीय न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण सं. 32/1980 है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के क्रम में दिनांक 27.01.1982 को जरिये मिट्स एण्ड बाउंण्ड्स बंटवारा करते हुए पक्षकारान के अलग–अलग हिस्से घोषित किये गये तथा उपरोक्त दिनांक 27.01.1982 को प्रकरण में विभाजन की डिक्री पारित करते हुए विवादित आराजी से संबंधित तहसीलदार को राजस्व भू–अभिलेख मे अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 27.01.1982 को माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी से संबंधित निर्णय व डिकी का पर्चा तैयार करने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार दरामद की गई के उपरांत वादी द्वारा जो कि छोटू माली पुत्र स्व. श्री श्योजी माली की संतान है के द्वारा यह वाद पूर्व निर्णित वाद के तथ्यो को छुपाते हुए यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि वादी के पिता श्री छोटू पुत्र स्व. श्री श्योजी भी उक्त वाद में पक्षकार होते हुए वर्तमान में जीवित है की रोशनी में यह वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी के क्रम में पूर्व निर्णित निर्णय व डिकी के तथ्यो को छुपाते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि श्री छोट माली पुत्र स्व. श्री श्योजी माली का हिस्सा दिनांक 27.01.1982 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। ऐसे में उक्त वाद के विचारण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विवादित आराजी के क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 27.01.1982 को राजस्व वाद सं. 32/1980 में पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर दिया है तो उपरोक्त विवादित आराजी को लेकर पुनः बंटवारे व हिस्सा घोषित करने की कतई आवश्कयता नहीं है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के कम में वाद बाहुल्यता के साथ–साथ पक्षकारो मे मध्य रंजिश का माहौल पैदा हो जायेगा। वादी द्वारा उपरोक्त वाद मात्र प्रतिवादीगण व पूर्व वाद में वादी तथा उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 2 को ब्लैकमेल व परेशान करने के उद्देश्य से यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 व 151 व्य०प्र०सं० की रोशनी मे खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेते हुए उपरोक्त वाद को पूर्व निर्णित वाद दिनांक 27.01.1982 की रोशनी में खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करे।

3. वादीगण की ओर से वकील श्री पूर्वी बक्षी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित चरण संख्या 1 के जवाब में लेख है कि इस चरण मे अंकित कथन रिकार्ड का विषय है अतः जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे अंकित कथनो का जवाब है कि इस चरण में अंकित कथन गलत है अतः अस्वीकार है वादी ने माननीय न्यायालय से कोई तथ्य नही छुपाया है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से पेश हुआ है एंव वादी ने प्रस्तुत वाद अपनी पुश्तैनी आराजी मे से अपना हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

चाहने के अनुतोष के साथ पेश किया है जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 मे अंकित कथनो के जवाब में लेख है कि वादी को इस चरण में अंकित कथनो की कोई जानकारी नही है प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इस चरण में अंकित कथनो बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया है, प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा इस चरण में अंकित प्रकरण संख्या 32/1980 जिसमे दिनांक 27/01/1982 को मिटस एंड बाउंडस बंटवारा किया जा कर पक्षकारान के अलग अलग हिस्से घोषित किये गये हो तथा विवादित आराजी से संबधित तहसीलदार को राजस्व भू अभिलेख मे अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया हो तो इस बाबत वादी को कोई जानकारी नही है, वादी की ओर से बनी पुश्तैनी आराजी मे से अपने हिस्से बाबत समान पक्षकारो एंव समान अनुतोष हेतु कोई वाद पूर्व मे संस्थित नही किया गया है जो किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के द्वारा गुणवगुण पर निस्तारित किया गया हो वास्तविकता मे प्रार्थी के इस चरण में अंकित कथनो अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादी के हिस्से का मिटस एंव बाउन्डस बंटवारा नही हो रखा है, भौतिक रूप से मौके पर कोई विभाजन नही हो रखा है वादग्रस्त आराजी पर आज भी वादी एंव 1 लगायत 13 प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज है जिनमे प्रतिवादी संख्या 2 भी शामिल है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 मे अंकित कथनो के जवाब मे लेख है कि इस चरण में अंकित यह कथन स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है, अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादी के द्वारा माननीय न्यायालय से किसी तथ्य को छुपाया नही गया है। वादी ने अपनी पुश्तैनी आराजी मे से मात्र अपने हिस्से को निर्धारित करने के अनुतोष की प्राप्ति हेतु यह वाद पेश किया हैं जो किसी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 मे विहित प्रावधानो की परिधि मे नही आता है, वादी का वाद विधि वर्जित नही है अपितु विधिक प्रावधान अनुसार पोषणीय है, प्रार्थी संख्या 2 ने वाद मे अनावश्यक विलम्ब कारित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे अंकित कथनो बाबत प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई दस्वावेज पेश नही किये है उक्त चरण मे अंकित वाद के तथ्य वादी की जानकारी मे नही है अतः इस चरण में अंकित कथनो का जवाब देने का अपना विधिक अधिकार सुरक्षित रखता है, वादी इस चरण में अंकित राजस्व वाद संख्या 32/1980 का पक्षकार नही रहा है वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का कभी विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के द्वारा द्वेषतावश आये दिन वादी को उसके एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी को अन्यत्र. विक्रय की धमकी दी जाती है, वादी को उसके कब्जे की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त नही करनी दी जा रही है वादी कानून व्यवस्था मे विश्वास रखने वाला शांतिप्रिय व्यक्ति है जिसकी अपनी पुश्तैनी आराजी बाबात वाद बाहुल्यता एंव रंजिश की कतई मंशा नही है किन्तु अपने हक व अधिकार की प्राप्ति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

के लिए विधिक मार्ग का चयन करना वादी का अधिकार है जिससे उसे वंचित किया जाना न्यायोचित नही हैं। इस चरण में अंकित कथन गलत है अतः कठोर रूप से अस्वीकार है वादी को पूर्व मे निर्णीत वाद के वादी एंव उक्त वाद मे प्रतिवादी संख्या 2 बाबत विचाराधीन एंव निर्णीत किसी राजस्व वाद की जानकारी नही है वादी न्याय व्यवस्था में यकीन रखने वाला जिम्मेदार नागरिक है जिसकी प्रतिवादी संख्या 2 को ब्लैकमेल करने अथवा परेशान करने की कतई मंशा नही है वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के मध्य पूर्व मे समान पक्षकार, समान अनुतोष के आधार पर कभी कोई वाद विचाराधीन नही रहा है एंव ना ही निर्णीत हुआ है इस परिपेक्ष्य मे वादी के वाद पर आदेश 7 नियम 11 अथवा धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नही होते है वादी का वाद पूर्णतया विधिक रूप से पोषणीय है एंव चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य हैं । प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई विधिक बिन्दु नही प्रकट किया गया है जिससे वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 अथवा धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की परिधि मे आता हो प्रतिवादी संख्या 2 अपनी विधिक आपत्तियां अपने जवाबदावे मे लिये जाने के लिऐ स्वतंत्र है, अतः श्रीमानसे निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान किये जावें

5. हमारे द्वारा वकील प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 एवं शपथ व वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनकर उस पर मनन किया।

वादी द्वारा हस्तगत वाद में इस आशय का अनुतोष वांछित किया गया है कि वाद के पैरा संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजी भूमि वर्तमान खसरा संख्या 2172, 2173, 2178, 2178/2 में पैतृक भूमि होने के कारण वादी, स्व. श्योजी का पौत्र एव छोटू का पुत्र होने से वादी को 01/18 हिस्से में खातेदारी की उद्घोषणा की जावे। राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में खसरा संख्या 2172, 2173, 2174, 1184 का नामान्तरण संख्या 189 के द्वारा बंटवारा किया गया है। वर्तमान में वादअधीन भूमि खसरा संख्या 2178/2, 2178/3, 2178/1, 2172 पृथक पृथक व्यक्तियों के नाम दर्ज है जबकि खसरा संख्या 2173 का पृथक नहीं हुआ है लेकिन खसरा संख्या 2173 में वादी के पिता का नाम 13/89 हिस्से में दर्ज किया हुआ है। अर्थात वादअधीन भूमि का वकील प्रतिवादी के कथनानुसार वादअधीन भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है। वादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद का जो कि निर्णय हो चुका है का उल्लेख वाद में नहीं किया गया है। वादी अपने पिता की भूमि में से ही खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारों हेतु वाद की उद्घोषणा हेतु वाद ला सकता है। पूर्व वाद में बंटवारा होकर वादी के पिता को उनका हिस्सा प्राप्त हो चुका है, वादी चाहे तो अपने पिता की भूमि मे से खातेदारी उद्घोषणा हेतु वाद पर्याप्त वादकारण सहित पेश कर सकता है। किन्तु हस्तगत वाद में वादी द्वारा पर्याप्त वाद हैतुक का उल्लेख नहीं किया है जिससे वादी का वाद विचारणीय नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वाद हैतुक के अभाव में खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़